



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072026-274325
CG-DL-E-09072026-274325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3552]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3552]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

का.आ. 3714(अ).— भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश संख्या 1584 (अ) दिनांक 25 मार्च 2026 जो कि रिंगर लैक्टेट (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है को अब से निम्नलिखित जोड़कर पढ़ा जाये:

(1) क्र. संख्या 31 को सारणी 'ख' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
31.	मेसर्स सचिन पैरेंट्रल प्राइवेट लिमिटेड (नीचे नोट ड1)	यूरो हेड / सेफ़ पोर्ट

(2) खंड (ड1) के बाद जोड़ा गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“(ड1) सारणी 'ख' की क्रमांक संख्या 31 में उल्लिखित मेसर्स सचिन पैरेंट्रल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, सारणी 'क' की केवल क्रमांक संख्या 4 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

[क्र.सं./280/148/2026/एफ़ / फ़ा. सं. 8(148)/2026/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ADDENDUM

New Delhi, the 8th July, 2026

S.O. 3714(E).— The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1584(E) dated 25th March 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of scheduled formulation packs of Ringer Lactate (non-Glass with special features) is henceforth to be read with the following additions:

(1) Sl. No. 31 shall be added in Table 'B' as below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
31.	M/s Sachin Parenteral Pvt. Ltd. (note e1 below)	Euro Head / Safe Port

(2) Clause (e1) is added after clause (e) & shall be read as follows:

“(e1) In case of M/s Sachin Parenteral Pvt. Ltd. mentioned in Sl. No. 31 of Table B, only the price of the formulation specified at Sl. No. 4 of Table A is applicable”.

[PN/280/148/2026/F / F. No. 8(148)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director